संख्या-492/2017/980/22-2-2017-17(214)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2017***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोपाल पुत्र श्री दाताराम निवासी जनपद-हाथरस की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15999-16004/प्रोबेशन-3(एम-02-05-2017) दिनांक-18-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोपाल पुत्र श्री दाताराम, निवासी-नगला बाबू, थाना-मुरसान, जनपद-हाथरस का रहने वाला है। वादी चन्द्रमोहन ने मुख्य आरोपी धर्मेन्द्र के विरोध के बावजूद धर्मेन्द्र के बाबा से गांव कमराबाद में बनी पुस्तैनी हवेली का आधा हिस्सा खरीद लिया था जिसके कारण धर्मेन्द्र व वादी चन्द्रमोहन में मनमुटाव चल रहा था। इसी रंजिश में बन्दी ने दिनांक 26/27.05.1994 की रात्रि 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी चन्द्रमोहन के पिता, पत्नी, पुत्र, भतीजी व भतीजे की चाकूओं से गोदकर कुल 05 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1314/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302, 148 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 05.12.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.08.1997 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.02.2017 तक 22 वर्ष 05 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष 06 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 05 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने से इन्कार नहीं किये जा सकने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 26/27.05.1994 की रात्रि में 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकूओं से गोदकर कुल 05 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्यतम् अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 44 वर्ष लगभग होने, अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, समिति एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गोपाल पुत्र श्री दाताराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल रिट याचिका सं0-26051/2016 गोपाल पुत्र दाताराम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 के अनुपालन तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गोपाल (बन्दी संख्या-3561) पुत्र श्री दाताराम निवासी जनपद- हाथरस के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-492/2017/980(1)/22-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-492/2017/980/22-2-2017-17(214)/2010

दिनांक 29 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोपाल पुत्र श्री दाताराम, निवासी-नगला बाबू, थाना-मुरसान, जनपद-हाथरस का रहने वाला है। वादी चन्द्रमोहन ने मुख्य आरोपी धर्मेन्द्र के विरोध के बावजूद धर्मेन्द्र के बाबा से गांव कमराबाद में बनी पुस्तैनी हवेली का आधा हिस्सा खरीद लिया था जिसके कारण धर्मेन्द्र व वादी चन्द्रमोहन में मनमुटाव चल रहा था। इसी रंजिश में बन्दी ने दिनांक 26/27.05.1994 की रात्रि 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी चन्द्रमोहन के पिता, पत्नी, पुत्र, भतीजी व भतीजे की चाकूओं से गोदकर कुल 05 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1314/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302, 148 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 05.12.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.08.1997 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.02.2017 तक 22 वर्ष 05 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष 06 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 05 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने से इन्कार नहीं किये जा सकने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 26/27.05.1994 की रात्रि में 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकूओं से गोदकर कुल 05 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्यतम् अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 44 वर्ष लगभग होने, अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, समिति एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गोपाल पुत्र श्री दाताराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in